न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2022/30
मिसलनम्बर– 18 / 2022

1.गोविंद राम मलकानी पुत्र श्री खिल्लुमल मलकानी आयु 62 वर्ष जाति सिंधी निवासी 366 ए, हनुमान मंदिर के सामने शीला चौधरी रोड तलवण्डी कोटा
2.श्रीमती कांता मलकानी पत्नी श्री गोविंद राम मलकानी आयु 61 वर्ष जाति सिंधी निवासी 366 ए, हनुमान मंदिर के सामने शीला चौधरी रोड तलवण्डी कोटा

प्रार्थीगण।

बनाम

1.राजपाल मलकानी पुत्र श्री गोविंद मलकानी जाति सिंधी निवासी 366 ए, हनुमान मंदिर के सामने शीला चौधरी रोड तलवण्डी कोटा
2.श्रीमती साक्षिका मलकानी उर्फ उशा मलकानी पत्नी श्री राजपाल मलकानी पुत्री स्व0 श्री परमानन्द मनवानी जाति सिंधी निवासी 366 ए, हनुमान मंदिर के सामने शीला चौधरी रोड तलवण्डी कोटा

अप्रार्थीगण।

–:निर्णय:–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 21.11.24

उपस्थिति:–

1.श्री मो. अकरम प्रार्थीगण अधिवक्ता।
2.श्री कैलाश बामनिया अप्रार्थी नं0 1 अधिवक्ता।
3.श्री दिलीप सिंह यादव अप्रार्थी नं0 अधिवक्ता।

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् पत्रावली निर्णय प्रार्थना–पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना–पत्र में प्रार्थीपक्ष द्वारा निवेदित सक्षेंपित तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण जो कि वरिष्ठ नागरिक है तथा उन्होने अपने स्वयं की अर्जित आय से एक संपत्ति जो कि मकान 366 ए. हनुमान मन्दिर के सामने, शीला चौधरी रोड, तलवंडी, कोटा राज0 पर बनाई थी जिसका स्वामित्व प्रार्थीगण का है और जिस पर किसी प्रकार का कोई अधिकार अप्रार्थीगण का नही है परंतु चूंकी अप्रार्थी क्रम 1 प्रार्थीगण का नैसर्गिक पुत्र है इस कारण वह जन्म से ही प्रार्थीगण के साथ निवास कर रहा है परंतु जब अप्रार्थी नंबर 1 का विवाह अप्रार्थीया नंबर 2 के साथ श्रीमती साक्षिका मलकानी उर्फ उषा मलकानी के साथ किया तब से अप्रार्थी नंबर 1, अप्रार्थीया नंबर 2 के मुत्ताबिक ही प्रार्थीगण के साथ दुर्यवहार करने लगा है तथा वह अप्रार्थीया नंबर 2 के बहकावे में आकर प्रार्थीगण को उनकी स्वयं की संपत्ति से बाहर निकालना चाहता है और इसी क्रम में दोनो अप्रार्थीगण ने सोची समझी साजिश के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

तहत एक मुकदमा जो 498–ए, 406 आईपीसी के तहत महिला थाना जयपुर में लगाया जहाँ बेवजह प्रार्थीगण को परेशान होना पड़ा यही नहीं दोनो अप्रार्थीगण ने आपस में मिलीभगत करके घरेलू हिंसा के तहत प्रार्थीगण विरूद्ध जयपुर न्यायालय में कार्यवाही की है जिनमें भी प्रार्थीगण को परेशान होना पड़ रहा है। दोनो अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को लगातार प्रताड़ित कर रखा है तथा वह प्रार्थीगण का कोई कार्य नहीं करते वरन् इन सभी के विपरीत जो भी सामान आवश्यक होता उन सभी सामानों को जबरन ले जाते चूंकी दोनो अप्रार्थीगण आपस में मिले हुये और इसी कारण अप्रार्थीया नंबर 2 ने जो कार्यवाही अप्रार्थी नंबर 1 सहित दोनो प्रार्थीगण के विरूद्ध की है जिनमें दहेज यातना का प्रकरण एवं घरेलू हिंसा का प्रकरण मेन्टीनेंस तथा भरण पोषण की कार्यवाही भी कर रखी है तथा एक तलाक का प्रकरण भी धारा 13 हिन्दु विवाह अधिनियम के तहत जयपुर के न्यायालय में अप्रार्थीया नंबर 2 ने अप्रार्थी नंबर 1 के विरूद्ध प्रस्तुत कर रखा और इन समस्त प्रकरणो को न्यायालयों में जैरकार होने के बावजूद भी दोनो अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के मकान में साथ– साथ निवास कर रहे है जो स्पष्ट रूप से इस तथ्य को बखूबी प्रमाणित करता है कि दोनो अप्रार्थीगण एक सोची समझी साजिश के तहत प्रार्थीगण के विरूद्ध आपराधिक षड़यंत्र रच रहे है और चूंकी अप्रार्थी नंबर 1 प्रार्थीगण का पुत्र है वह पूरी तरह से अप्रार्थीया नंबर 2 के दबाव में है और वह कोई भी अनहोनी घटना भी आप्रार्थीया नंबर 2 के साथ मिलकर कर सकता और अब प्रार्थीगण को यह पूर्ण विश्वास हो गया है कि अप्रार्थीगण कभी भी प्रार्थीगण के साथ कोई भी कृत्य कर सकते है और इस कारण प्रार्थीगण अपने ही मकान में अप्रार्थीगण की वजह से सुरक्षित नहीं है जिसके फलस्वरूप प्रार्थीगण अपना जीवन स्वतंत्र रूप से नहीं कर पा रहे है और जिसके कारण यह आवश्यक है कि अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण के स्वामित्व व कब्जे वाले मकान से निकलवाया जाना चाहिये और इस हेतु उन्हें निकवाये जाने के बाद प्रार्थीगण अपना जीवन शांतिपूर्ण तरीके से जी सके। अप्रार्थीगण से प्रार्थीगण ने कई बार अपने स्वामित्व वाले रिहायश मकान 366–ए हनुमान मन्दिर के सामने शीला चौधरी रोड़, तलवंडी, कोटा राज. से निकलकर अन्यत्र स्थान पर निवास किये जाने हेतु कहा परंतु अप्रार्थीगण कतई भी प्रार्थीगण का रिहायश वाला मकान छोड़ने को तैयार नहीं है तथा उनके द्वारा आये दिन गाली गलोच व प्रार्थीगण को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है इस हेतु अप्रार्थीगण से प्रार्थीगण का मकान खाली करवाया जाना चाहिये। दोनो अप्रार्थीगण की मुख्य मंशा यह है कि वह येनकेन प्रकारेण प्रार्थीगण को दबाव में लेकर प्रार्थीगण की खरीदशुदा सम्पत्ति को उनके नाम करवाना चाहते है, जबकि दोनो प्रार्थीगण वृद्ध है और अत्यधिक बीमारियों से ग्रसित है और उन्हे किसी भी प्रकार की टेंशन अथवा परेशानी दिये जाने से उन्हें गहरा सदमा लगकर मृत्यु हो सकती है, लेकिन फिर भी अप्रार्थीगण किसी भी प्रकार से उनका किसी भी घरेलू कार्य में भी कोई सहयोग नही करते है और आयेदिन प्रार्थीगण के मकान को स्वयं के नाम करवाने बाबत दबाव भी बना रहे है, जो कि कतई भी न्यायोचित नही है। और यदि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के दबाव के कारण उक्त मकान अप्राथीगण के नाम कर दिया तो वह प्रार्थीगण का जीना दूभर करके उन्हे उनके मकान से भी बेदखल कर सकते है, और जिन समस्त तथ्यो के आधार पर यह आवश्यक है कि अप्रार्थीगण जो कि प्रार्थीगण का किसी भी प्रकार से कोई भी काम में सहयोग नही करते है, उन्ह प्रार्थीगण के मकान में पुत्र व पुत्रवधु के रूप में रहने का कोई अधिकार प्राप्त नही है, जिन्हे प्रार्थीगण के मकान से बाहर निकाला जाना चाहिये जिससे कि प्रार्थीगण अपना जीवन शांति व सुख से जी सके। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि दोनो अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण के रिहायश व स्वामित्व वाले मकान से निकलवाये जाने बाबत

न्यायालय उपखण्ड ... कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

आदेश पारित किया जाना चाहिये जिससे अप्रार्थीगण अपना जीवन यापन शांतिपूर्ण तरीके से कर सके।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। बाद तलबी अप्रार्थी नं0 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मुझ अप्रार्थी के द्वारा किसी प्रकार का कोई दुर्यव्यवहार मेरे माता पिता के साथ नही किया जाता परन्तु इस तथ्य से इंकार नही किया जा सकता कि मेरी पत्नी अप्रार्थीया क्रम 2 साक्षिका मलकानी जो कि आये दिन मेरे माता पिता से झगडती है और दुर्व्यवहार करती है तथा गाली गलौच करती है जो मुझे भी सहन नही होता परन्तु मेरी पत्नी अप्रार्थीया कम 2 ने मुझे झूठे व मनगढन्त तथ्यो को आधारित करते हुये जयपुर न्यायालय एवं अन्य न्यायालय में मेरे विरूद्ध कई प्रकार की कार्यवाहियां कर रखी है और वह मुझे यह धमकी भी देती है कि यदि मेरे द्वारा उसका साथ नही दिया जाता तो वह मुझे और अन्य प्रकरणो मे फंसाकर जेल मे सड़वा देगी, मै, मेरी पत्नी अप्रार्थी क्रम 2 को मेरे माता पिता के मकान मे अपने साथ रखने के बावजूद भी उसे मेरे माता पिता के साथ किये जा रहे दुर्व्यवहार के साथ संबंध मे रोक नही पाता है यदि मेरे द्वारा कभी कबार कोई विरोध किया जाता है तो वह मुझसे भी झगडा कर मारपीट पर आमदा हो जाती है। मेरे द्वारा मेरे माता पिता कों प्रताड़ित नही किया जाता परन्तु मेरी पत्नी अप्रार्थीया क्रम 2 जिस प्रकार से उनके साथ दुर्व्यवहार करती है उसे भी मै नही रोक पाता हूं । इसके बावजूद मेरे विरूद्ध मेरी पत्नी अप्रार्थीया क्रम 2 द्वारा कई प्रकरण दर्ज किये जाने के जो तथ्य अंकित किये हुये उनके संबंध मे कोई आपत्ति नही है वह समस्त तथ्य सही प्रकार से अंकित किये है परन्तु चूकि मेरी पत्नी अप्रार्थीया क्रम 2 ने मुझ पर अत्यधिक दवाब बना रखा है उसी के दवाब की वजह से मुझे ना चाहते हुये कई बार ऐसा कार्य करना पड़ता है जिससे कि मेरे माता पिता आहत होते है और उन्हें दुख पहुंचता है। इस प्रार्थना पत्र में जो मकान मेरे माता पिता के द्वारा स्वयं का बताया गया है वह मेरे माता पिता के ही स्वामित्व का मकान है जिसमे मेरा कोई लेशमात्र भी सहयोग नही है। इस मकान के एकमात्र निर्बोध स्वामी मेरे माता पिता ही है और यदि यह मुझे इस मकान से निकालकर शान्ति से अपना जीवन जीना चाहसे है तो इसमें मुझे कोई आपत्ति नही है। मै इस मकान को छोड़कर मेरी पत्नी अप्रार्थीया क्रम 2 सहित अन्यत्र स्थान पर रिहायश करने हेतु तैयार हूं परन्तु मेरी पत्नी अप्रार्थीया क्रम 2 मुझ पर जबरन दवाब बनाकर इस मकान को हड़पने की गरज से यह मकान छोड़ना नही चाहती है तथा मेरी पत्नी अप्रार्थीया क्रम 2 मुझ पर यह भी दवाब बनाती है कि मेरे वृद्ध माता पिता को मकान से निकालकर यह मकान मेरे व मेरी पत्नी अप्रार्थीया क्रम 2 के नाम करवाये तभी वह शान्ति से रह सकती है। मेरे माता पिता काफी वृद्ध है जिन्हें अत्यधिक बीमारिया है, मेरी पत्नी अप्रार्थीया क्रम 2 मुझ पर दवाब बनाकर इस मकान को दोनो अप्रार्थीगण अर्थात मैं व मेरी पत्नी के नाम करवाना चाहती है जिससे कि मैरे माता पिता को दुख पहुंचता है और मेरी स्वयं की ईच्छा इस वृद्धावस्था मे उन्हें घर से निकलाने की नही है, मै मेरे माता पिता को शांति से रखना चाहता हूं परन्तु मेरे व मेरी पत्नी अप्रार्थीया क्रम 2 को इस मकान से निकाले जाने के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नही है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नही है परन्तु अप्रार्थीया क्रम 2 को भी आदेशित किया जाना चाहिये कि वह मेरे साथ अन्य स्थान पर निवास करे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

अप्रार्थी नं0 2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उक्त मकान संयुक्त सम्पति से अर्जित किया हुआ है जिसमें सभी पक्षकारों का हक हिस्सा एवं अधिकार है। प्रार्थी संख्या 1 एवं अप्रार्थी संख्या 1 एक साथ व्यवसाय करते हैं एवं दिन में रोजाना 25–30 बार वार्तालाप करते हैं, दुकान पर एक साथ उठते बैठते हैं । प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 का अप्रार्थीया संरख्या 2 के साथ विवाह किया था, तब प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 ने यह आश्वासन दिया था कि वे अप्रार्थीया संख्या 2 को अपने साथ उक्त मकान में रखेगें। विवाह के बाद प्रार्थीगण एवं अप्राथी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थीया संख्या 2 के साथ दहेज की मांग को लेकर नाना प्रकार से शारीरिक एवं मानसिक से प्रताड़ित किया गया एवं नाजायज तरीके से घरेलू हिंसा की गई । इसके बावजूद अप्रार्थीया संख्या 2 अपने दाम्पत्य जीवन को बचाये रखने के लिए प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 की तमाम यातनाओं एवं प्रताड़नाओं को सहन करती रही । इसी दाम्पत्य सम्बन्धों के परिणामस्वरूप अप्रार्थीया संख्या 2 अप्रार्थी संख्या 1 के संसर्ग से गर्भवती हुई तथा उसने एक पुत्री आराध्या को जन्म दिया। पुत्री पैदा होने के बाद प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 का व्यवहार अप्रार्थीया संख्या 2 के प्रति और अधिक क्रूरतापूर्ण हो गया जिस कारण विवश होकर अप्रार्थीया संख्या 2 ने एक प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 7/2015 पुलिस थाना महिला थाना पूर्व, जयपुर के यहाँ अपराध धारा 498ए एवं आई.पी.सी. का प्रस्तुत किया था जिसमें अप्रार्थीया संख्या 1 द्वारा लगाये गये समस्त आरोप प्रमाणित मानते हुए पुलिस द्वारा आरोप पत्र प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 के खिलाफ महानगर मजिस्ट्रेट, क्रम–15, जयपुर महानगर, जयपुर के यहां प्रस्तुत किया जो कि वर्तमान में न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम–3, जयपुर जिला जयपुर के यहाँ प्रकरण उनवानी सरकार बनाम राजपाल व अन्य प्रकरण संख्या 305/2018 विचाराधीन है जिसमें अभियोजन साक्ष्य होनी है। इसी यातनाओं एवं प्रताड़नाओं के परिणामस्वरूप अप्रार्थीया संख्या 2 ने एक परिवाद भी अन्तर्गत अपराध धारा 12 घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के तहत महानगर मजिस्ट्रेट, क्रम–30 जयपुर जयपुर के यहाँ उनवानी श्रीमती साक्षिका मलकानी उर्फ उषा मलकानी बनाम राजपाल मलकानी व अन्य प्रस्तुत किया था जो कि वर्तमान में न्यायालय महानगर मजिस्ट्रेट, क्रम–7 जयपुर महानगर–प्रथम, जयपुर के यहाँ विचाराधीन है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थीया संख्या 2 को एवं उसकी पुत्री को अलग रहने के बाद ना तो कोई भरण पोषण राशि का भुगतान किया जा रहा है और ना ही कोई खैर खबर ली जा रही है । इसी परिप्रेक्ष्य में आप्रार्थी संख्या ने अप्रार्थीया संख्या 2 से पिण्ड छुटाने एवं अपनी नैतिक एवं विधिक जिम्मेदारियों से बचने के लिए अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थीया संख्या 2 के खिलाफ तलाक का मुकदमा पारिवारिक न्यायालय कोटा में दायर कर रखा है जो कि पूर्णतः मिथ्या एवं निराधार आधारों पर प्रस्तुत कर रखा है। अब इसी परिप्रेक्ष्य में अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थीया संख्या 2 को अनुचित एवं गैरकानूनी तरीके से हैरान एवं परेशान करने की गरज से उक्त प्रार्थना पत्र दायर किया है जिसमें प्रार्थीगण माननीय न्यायालय से किसी भी प्रकार की कोई रिलीफ अथवा अनुतोष प्राप्त करने के वैधानिक अधिकारी नहीं है । प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 के साथ आपसी मिलीभगत कर उक्त याचिका माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है तथा अप्रार्थीया संख्या 2 व उसकी पुत्री को सम्पति से बेदखल करने का अनुचित प्रयास किया है जिसमें प्रर्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 किसी भी प्रकार की कोई रिलीफ प्राप्त करने के वैधानिक अधिकारी नहीं है । प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र केवल मात्र अप्रार्थीया संख्या 2 एवं उसकी पुत्री को सम्पति से बेदखल करने की गरज से काल्पनिक एवं आधारहीन तथ्यों को समावेश करके दायर किया है जिसमें प्रार्थीगण किसी भी प्रकार की कोई रिलीफ प्राप्त करने

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

के अधिकारी नहीं है। ना तो अप्रार्थीया संख्या 2 ने प्रार्थीगण पर सम्पति अपने नाम करने का कोई दबाव बनाया है और ना ही सम्पति अपने नाम करने का दबाव बनाकर कोई कार्यवाही की है। बल्कि अप्रार्थीया संख्या 2 एवं उसकी पुत्री का भी प्रार्थीगण की सम्पति में नाकिस हक हिस्सा है जिससे अप्रार्थीया संख्या 2 व उसकी पुत्री को जोर जबरदस्ती बेदखल करने का प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अनुचित प्रयास किया जा रहा है जिसके क्रम में ही उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 के साथ मिलीभगत कर दायर किया है जिसमें लेशमात्र भी सच्चाई नहीं है। प्रार्थीगण को उक्त प्रार्थना पत्र दायर करने का कोई लोकस स्टेण्डाई हासिल नहीं है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्ष की ओर से अधिवक्तागण द्वारा दौराने बहस अपने अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराया।

उपरोक्तानुसार बाद बहस पत्रावली में निहित दस्तावेजों का अवलोकन एवं बहस में दर्शित तथ्यों पर मनन किया गया। बाद अवलोकन यह निष्कर्ष निकलता है कि उभय पक्षकारान के मध्य घरेलू हिंसा एवं सम्पत्ति के प्रकरण अन्य सिविल न्यायालयों में जैरकार है जिस कारण प्रकरण सम्पत्ति के विवाद एवं पारिवारिक हिंसा से संबंधित होना पाया जाता है जिसकी पुष्टि पत्रावली में संलग्न फर्द दस्तावेजों के अवलोकन से होती है। अप्रार्थी नं0 2 की ओर से माननीय न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश क्रम सं0 2 (दक्षिण) कोटा के आदेश प्रार्थना पत्र वास्ते अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 13.10.2023 की प्रति पेश की है जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि माननीय न्यायालय द्वारा अप्रार्थी न0 2 के पक्ष में अप्रार्थी नं0 2 को मकान 366 ए, हनुमान मंदिर के सामने शीला चौधरी रोड तलवण्डी कोटा से बेदखल नही किये जाने का पारित किया हुआ है। जिस कारण हम प्रार्थीगण को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भरण पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत किसी प्रकार का अनुतोष दिया जाना उचित नही समझते है। प्रार्थीगण द्वारा चाही गयी सहायता इस अधिनियम के तहत नही दिलाई जा सकती है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत भरण पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम को अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं।

उक्त निर्णय आज दिंनाक:.......21/11/24.......को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ★ कोटा ★